बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी

ग्रामीण विकास विभाग,

बिहार, पटना।

पत्रांक 168494 पटना, दिनांक 13/11/13

ग्रा.वि.-9(ख)बी0आर0डी0एस0-61/2013

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उपविकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक ।

विषय - अनुबंध के आधार पर नियुक्त मनरेगा कर्मियों के अनुबंध रद्द किए जाने के उपरांत अपीलीय अभ्यावेदन की सुनवाई के संबंध में ।

प्रसंग - विभागीय पत्रांक 8574 दिनांक 22.09.2009 ।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र में दिए गए निर्देश के संदर्भ में कहना है कि मनरेगा अंतर्गत अनुबंध के आधार पर कार्यरत कर्मियों का विभिन्न आरोपों के कारण अनुबंध रद्द किए जाने के उपरांत अनुबंध रदद् कर्मियों द्वारा विभिन्न स्तर पर की गई अपील कभी -कभी दो-वर्षों तक लंबित रह जाती है, जो अपेक्षित नहीं है । "Justice delayed is justice denied" के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सभी स्तर पर अपील/पुनरीक्षण वाद को एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुनवाई पूर्ण कर निष्पादित किया जाना आवश्यक है । अत: प्रत्येक स्तर पर अपील/पुनरीक्षण आवेदन दायर होने के 60 दिनों के अंदर इसका निष्पादन सुनिश्चित किया जाय। यह समय-सीमा हर स्तर के लिए निर्धारित की जाती है ।

विभागीय पत्रांक 8574 दिनांक 22.09.2009 की कंडिका-2 में उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा अनुबंध रद्द किए जाने पर संबंधित जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक के स्तर पर अपील किए जाने का प्रावधान है । उपर्युक्त के आलोक में आवेदक द्वारा किए गए अपील पर 60 दिनों के अंदर सुनवाई कर आदेश पारित किया जाना आवश्यक है ।

इसी प्रकार जिला पदाधिकारी द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी का अनुबंध रद्द किए जाने पर अनुबंध रद्द कर्मी द्वारा प्रधान सचिव/सचिव ग्रामीण विकास विभाग के स्तर पर अपील दायर किए जाने का प्रावधान है, जिस पर जिला पदाधिकारी का मंतव्य प्राप्त करने हेतु विभाग से अनुरोध भेजे जाने पर 60 दिनों के अंदर मंतव्य विभाग को भेजा जाना आवश्यक है । विभागीय स्तर पर जिलों से

मंतव्य प्राप्त होने के उपरांत 60 दिनों के अंदर अपील की सुनवाई पूर्ण कर अभ्यावेदन का निष्पादन किया जाएगा ।

उक्त निर्देश के क्रम में विभागीय स्तर पर अपील/पुनरीक्षण मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत तकनीकी सहायक, कनीय अभियंता के द्वारा दायर सभी पुनरीक्षण आवेदनों की सुनवाई आयुक्त मनरेगा के स्तर पर की जाएगी एवं शेष अपील/पुनरीक्षण मामलों की सुनवाई (कार्यपालक अभियंता, कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता, कम्प्यूटर ऑपरेटर तथा लेखापाल) प्रधान सचिव/सचिव के द्वारा निष्पादित की जाएगी ।

कृपया उक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

विश्वासभाजन

7.11.13

(अमृत लाल मीणा)

सचिव ।

ज्ञापांक 168494 **पटना, दिनांक** 13/11/13

प्रतिलिपि :- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आयुक्त, मनरेगा के आप्त सचिव ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

7.11.13

सचिव ।